# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

**अपील संख्याः–32 / 2023(जीसीएमएस नम्बर 2023 / 85)**

1. काल्या पुत्र कान्या जाति मीना निवासी ग्राम डोबला खुर्द तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा

——अपीलान्ट

**बनाम**

1. प्रेम देवी पत्नी सांवलराम, जाति मीना, निवासी डोबला खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

——रेस्पोडेन्ट्स

**उपस्थितिः–**

1. **श्री उमेश गौड़ एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री बी.एल. वर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

**अपील संख्याः–47 / 2023(जीसीएमएस नम्बर 2023 / 176)**

1. नारायण पुत्र चिमना उम्र 60 वर्ष,
2. धापू देवी पतनी हरबक्श उम्र 64 वर्ष,
3. रामभजन पुत्र स्व. शिवनारायण उम्र 52 वर्ष, समस्त जाति मीना निवासी डोबला खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. प्रेमदेवी पत्नी सांवलराम जाति मीना निवासी डोबला खुर्द तहसील रामगढ पचावारा जिला दौसा, राजस्थान
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा

——रेस्पोडेन्ट्स

**उपस्थितिः–**

1. **श्री राजकुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री बी.एल. वर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

## निर्णय

दिनांक 19.03.2024

अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई तथा उपरोक्त दोनों अपीलों की विषयवस्तु एक समान होने के कारण दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नही किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी की तरमीम जरिये पुलिस इमदाद क्यों करवाना चाहती है। रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से

**P.T.O.**

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नही आया एवं तथ्यों को छिपाकर गलत प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय से जैर आदेश दिनांक 25.05.2023 पारित फरमाया है। जो निरस्त किया जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त खसरा नम्बर 209 के समीप स्थित खसरा नम्बर 199 एव 208 के रिकार्डेड खातेदार है जिसकी सीमा वादग्रस्त आराजी से मिली हुई है जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना पक्षकार बनाये जैर अपील निर्णय पारित फरमाया है जिसकी आड में अपीलान्ट्स को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 199 एवं 208 वाके ग्राम डोबला खुर्द पर जरिये पुलिस इमदाद तरमीम करवाकर कब्जा करने पर आमादा है जिससे अपीलान्ट के समक्ष गंभीर संकट पैदा हो गया है एवं अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2023 से एग्रीव्ड है। अपीलान्ट के हक प्रभावित हो रहे है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2023 निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सूचना एवं सुनवाई का मौका दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित फरमाया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 के तहत भूमि के समीपस्थ खातेदारान को सुना जाना न्यायार्थ आवश्यक है उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाकर अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट के पीठ पीछे पारित करवाया है जो निरस्त फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की दोनों अपीले स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2023 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 209 रकबा 2.8600 हैक्टयर वाके ग्राम डोबला खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित जिस भूमि की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रिकार्डेड तन्हा खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि से अपीलार्थीगण या अन्य किसी का कोई सरोकार, वास्ता नही है तथा कानूनन प्रत्येक खातेदार काश्तकारान को अपनी आराजी व फसल की सुरक्षार्थ सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के अधिकार प्रदत्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना तहसीलदार के समक्ष पेश करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 17.05.2023 को किया जा चुका है जिसके अनुसार पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक गलती नही की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि की दिनांक 10.07.2023 को पत्थरगढी भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी इत्यादि के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 199

**P.T.O.**

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

एवं 208 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनकी भूमि की सीमाऐं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 209 से लगती हुई है उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण को पक्षकार नही बनाया गया जबकि सीमाज्ञान व पत्थरगढी जैसे प्रकरणों में तो पडौसी खातेदारान निश्चित रूप से प्रभावित होते ही है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.05.2023 को पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर नोटिस जारी करने व तहसीलदार की रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दिये जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.05.2023 नियत की गई है और दिनांक 25.05.2023 को तहसीलदार रामगढ़ पचावारा द्वारा अपनी कोई जांच रिपोर्ट न भिजवाकर अपने के संलग्न सिर्फ पटवारी हल्का द्वारा करवाई गई जॉच रिपोर्ट ही मूल भिजवाई गई जिसके आधार पर दिनांक 25.05.2023 को ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की उक्त कार्यवाही से जाहिर है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना समरी जॉच किये ही एवं प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना मनन किये ही जल्दीबाजी में अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2023 पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसे में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का युक्तियुक्त व समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में समरी जॉच पश्चात् पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया करें।

**(डॉ0प्रवीण कुमार)**
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।